

Santal
24-2-11
Encl (3)

2
24-2-11

5126
Reg No
IV 3491
33

प्रेषक,

रजत वर्मा,
अपर सिविल जज(जू0डि0)/
न्यायिक मैजि0, कक्ष सं0-22
एटा।

सेवा में,

महा-निबन्धक महोदय,
माननीय उच्चन्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
एटा।

विषय :

प्रार्थी की माँ श्रीमती आदर्श वर्मा द्वारा प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मनीषा वर्मा को चैक अंकेन 3,50,000/-रु0 दिये जाने की सूचना।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मेरे पिता स्व0 श्री रवीन्द्रनाथ वर्मा की मृत्यु के पश्चात्, उनके खाते में पड़ी रकम की स्वामिनी मेरी माँ श्रीमती आदर्श वर्मा हुई थीं, क्यों कि वे मेरे पिता के खातों में सह-खातेदार थीं। शनैः शनैः वे अपनी उपरोक्त सम्पत्ति को मुझे व मेरे अग्रज श्री पीयूष वर्मा तथा मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा वर्मा व मेरे अग्रज श्री पीयूष वर्मा की पत्नी श्रीमती अनु वर्मा को दान करती आ रही हैं। जिसके सम्बन्ध में, मैंने पूर्व में माननीय न्यायालय को अपने पत्रांक दि0 15.12.2007 द्वारा सूचित भी किया था.(उपरोक्त पत्रांक की प्रतिलिपि संलग्न है।), उसी क्रम में मेरी माँ ने मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा वर्मा को अपने बैंक खाता ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता संख्या-08242151001006 से अंकेन 3,50,000/- रूपये का चैक दि0 07.02.2011 दिया है. जिसे मैंने अपने व अपनी पत्नी मनीषा वर्मा के संयुक्त बचत खाता संख्या- 30173783488 शाखा भारतीय स्टेट बैंक, एटा में जमा कर दिया है।

उपरोक्त सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष ससम्मान प्रेषित की जाती है।

संलग्नक- चैक की प्रति.

भवदीय,

(Signature)
(रजत वर्मा)

अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मैजि0

दि0: 14.02.2011

28 FEB 2011

No. 233/XI/Civil/15-21/
Etah Judgship, Etah

FORWARDED

Distriet Judge
Etah 15/2/11

A-120
20-11-11

22-2-11
1948
D.R.(M)
For information.
May keep on record?
K. Jaiswal
28-11-11
28-11-11
AR

03/807
So Adm N/A

J.R.(M)
24-2-11

5-B=M
1/11

Request-100

1/3/11
24-11-11

Request 100

7/2/11

सभी सी बी एस शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL CBS BRANCHES

PAY To *Mamisha Verma*

CA दिनांक / DATE *7-11-2011*
Adarsh Verma 7-2-2011

रुपये RUPEES *Three Lac fifty thousand and aif*

या धारक को OR BEARER

अदा करें **₹.Rs. 3,50,000/-**

MADRAS SECURITY PRINTERS, ORIGINAL

खा. सं.
A/c No.

002421510010000



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
ORIENTAL BANK OF COMMERCE

MSP/MCC/MSB/A

Indra Chowk, BUDAUN
OBBC. 0100824

⑈393953⑈ 000022000⑈

Adarsh Verma

प्रेषक,

रजत वर्मा,
सिविल जज १००. डि. द्वितीय,
बागपत ।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बागपत ।

विषय :- पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी सम्पत्ति, जो मुझे व
अन्य पारिवारिकों को प्राप्त हुयी, उसके सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे पिता स्व० श्री रविन्द्र नाथ वर्मा, जो एक न्यायिक अधिकारी थे, और वर्ष 1998 में सेवा निवृत्त हुए थे उनका निधन दिनांक-15.09.2007, को हो गया है, तथा उनकी मृत्यु प्रमाण-पत्र की फोटो प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

मेरे पिता की बहुत अधिक पैत्रिक सम्पत्ति जनपद बदायूँ सिविल लाइन में स्थित थी। जिसका वे अपने जीवन काल में निरन्तर विवरण माननीय न्यायालय को प्रेषित करते रहे। मेरे पिता की मृत्यु के समय अधिकांश अचल सम्पत्ति, मेरे पिता के द्वारा अथवा मेरी दादी भृतका श्रीमती सरला वर्मा के द्वारा विक्रय कर दिया गया था, और उपरोक्त सम्पत्ति की धनराशि विभिन्न पास बुक और बान्ड इत्यादि के रूप में मेरे पिता की मृत्यु से पूर्व, मेरे पिता स्व० श्री रविन्द्र नाथ वर्मा, और मेरी माता श्रीमती आदर्श वर्मा के सह-खाते में है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख रुपये से अधिक है। मेरे पिता स्व० श्री रविन्द्र नाथ वर्मा, की कुछ चल सम्पत्ति उनके एवं मेरी माँ श्रीमती आदर्श वर्मा के संयुक्त नाम से थी, और कुछ चल सम्पत्ति एच.यू.स्फ. के रूप में थी। जिसमें मेरी माता के साथ, मैं और मेरे बड़े भाई श्री पीयूष वर्मा सम्मिलित थे। किन्तु इसका ज्ञान उनकी मृत्यु के पश्चात् ही हम दोनों भाईयों को हुआ

Re-
K. J. Singh
15/9/07

Request 100

हैं। मेरे पिता श्री रविन्द्र नाथ वर्मा के एच. यू. एफ. के रूप में, जो दस्तावेज था; उनके आयकर निर्धारण, तथा दस्तावेज के व्यौरे की फोटो प्रतिलिपि भी इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त सम्पत्ति के वारिस, मैं स्वयं, मेरी माता श्रीमती आदर्श वर्मा एवं मेरा एक मात्र बड़ा भाई श्री पीयूष वर्मा हैं। किन्तु वर्तमान में उपरोक्त सभी खाते अथवा बाल्ड में सह-खातेदार के रूप में मेरी माता श्रीमती आदर्श वर्मा, का ही नाम अंकित है, जो कि शनै-शनै, मेरी माता द्वारा मुझे अथवा मेरी पत्नी को, तथा मेरे बड़े भाई श्री पीयूष वर्मा एवं उनकी पत्नी को प्रदत्त की जायेगी।

इसके अतिरिक्त मेरे पिता स्व० श्री रविन्द्र नाथ वर्मा, के पास अचल सम्पत्ति के रूप में केवल एक पैट्रकआवास रह गया था, जो कि 71-सिविल लाईन बदायूं में मुख्य सड़क पर स्थित है, और जिसका क्षेत्रफल 668 वर्ग गज हैं। उपरोक्त मकान जो मेरे स्व० पिता का था वह उन्हें अपने नाना स्व० श्री गौरी सहाय, से एक वसीयत के द्वारा अन्य अचल सम्पत्ति के साथ प्राप्त ^{हुए} थीं। उपरोक्त वसीयत की फोटों प्रतिलिपि एवं उपरोक्त वसीयत के हिन्दी रूपान्तरण की फोटो प्रतिलिपि, इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं। उपरोक्त वसीयत के अनुसार मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त मकान का स्वामी मुझे तथा मेरे बड़े भाई श्री पीयूष वर्मा, को होना था। दिनांक 15.09.2007, को मेरे पिता स्व० श्री रविन्द्र नाथ वर्मा, के पश्चात् मैं और मेरे बड़े भाई श्री पीयूष वर्मा, अपर जिला जज, त्वरित न्यायालय नं०-2, बागपत, उपरोक्त मकान के 50-50 प्रतिशत भाग के स्वामी हो गये हैं।

मेरे पिता स्व० श्री रविन्द्र नाथ वर्मा, की मृत्यु के पश्चात उनकी सम्पत्तियों का वारिस होने की सूचना माननीय न्यायालय के सम्म ससम्मान प्रेषित की जाती हैं।

" सादर "

दिनांक :- 15.12.2007,

भवदीय,
रजत वर्मा

सिविल जज जू. डि. द्वितीय,
बागपत ।